निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 19 पटना, बुधवार, 19 वैशाख 1934 (श0)
9 मई 2012 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-12
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	13-14
पूरक	---
पूरक-क	14-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

3 मई 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-01/2011 खंड 4412—प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 4395, दिनांक 26.04.2012 जिसके द्वारा प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन के लिए श्री सुभाष कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को अपने क्षेत्राधिकार के लिए उप-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(सहयोग समितियाँ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के रूप में पदनामित किया गया है, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री कुमार को पूरे पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिले के उप-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 4395, दिनांक 26.04.2012 में उल्लिखित अन्य बातें यथावत् रहेंगी।

आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार, सचिव ।

HOME (SPECIAL) DEPARTMENT

Notification

27th April 2012

No. State/Nepal-03/2012-4102**—**In the exercise of the powers conferred under sub-Clause (2) of Clause 2 of the Foreigners Order 1948, entrusted to the Govt. of Bihar by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 4/2/60/F.I., dated 12.08.1960 read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. 4/3/56- (1) F.I., dated the 19th April, 1958 and in suppression of the earlier notifications issued by the Govt. of Bihar, the Govt. of Bihar, hereby modifies the jurisdiction of the FRO, East Champaran, to be the Civil Authority for the purpose of the said Order, with effect from the February 29-2012, as specified below:-

Designation of the officer	Earlier Area of Jurisdiction	Modified Area of Jurisdiction
SP/Civil Authority, East Champaran, Bihar.	The entire Area of East Champaran including Raxaul Land ICP, Bihar.	The entire Area of East Champaran excluding Raxaul Land ICP, Bihar.

By order of the Governor of Bihar,
RAJIVA RANJAN SINHA,
Joint Secretary.

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

20 अप्रील 2012

सं० 5/पी0 (यॉ0)–3–10/102/2011–753**—**विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 26 मार्च 2012 को संपन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित सहायक अभियंता (यॉत्रिक) को कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) पद पर वेतनमान पी.बी.–3 (रूपए 15,600–39,100) ग्रेड वेतन– 6600 रूपए में निम्नरूपेण नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र०	नाम / आई.डी.कोड / गृह जिला	वरीयता क्रमांक	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विपिन कुमार सिन्हा, एम0184 / औरंगाबाद	90 / 08	अनारक्षित	01.04.11 से प्रोन्नति देय
2.	श्री रमेश प्रसाद सिंह, एम0492 / खगड़िया	297 / 08	अनारक्षित	अधिसूचना निर्गत की तिथि से
3.	श्री कृष्णानंद मिश्र, एम0493 / मधुबनी	299 / 08	अनारक्षित	वही
4.	श्री शिवेन्द्र शर्मा, एम0543 / नालन्दा	300 / 08	अनारक्षित	वही
5.	श्री राजबल्लभ सिंह, एम0495 / सारण	301 / 08	अनारक्षित	वही
6.	श्री फारूख अहमद सईद खॉ, एम0499 / भागलपुर	303 / 08	अनारक्षित	वही
7.	श्री संत कुमार सिंह, एम0504 / वाराणसी	307 / 08	अनारक्षित	वही
8.	श्री राम नारायण, एम0512 / समस्तीपुर	312 / 08	अनारक्षित	वही
9.	श्री राम लक्ष्मण सिंह, ए0519 / भोजपुर	314 / 08	अनारक्षित	वही
10.	श्री रास बिहारी राय, एम0528 / बक्सर	321 / 08	अनारक्षित	वही
11.	श्री चन्द्रशेखर सिन्हा, एम0536 / जहानाबाद	324 / 08	अनारक्षित	स्थानापन्न प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से।

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों के प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन, भत्ते आदि का भुगतान उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

3. क्रमांक–1 के पदाधिकारी को दिनांक 01.04.11 की तिथि के प्रभाव से प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य)

अधिसूचना
20 अप्रील 2012

सं० म0 / स्था0रा0प0(मु0)–02 / 2011–613—वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 4685, दिनांक 25.06.2003, 1802, दिनांक 23.03.2006 एवं संकल्प संख्या 7566, दिनांक 14.07.2010 के आलोक में बिहार मत्स्य सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 20.3.2012 को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत अंकित तिथियों के प्रभाव से देय द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है :–

क्र0	**नाम एवं पदनाम**	**जन्म तिथि**	**देय तिथि**	**द्वितीय एम0ए0सी0पी0 / पे बैंड तथा ग्रेड पे**	**तृतीय एम0ए0सी0पी0 / पे बैंड तथा ग्रेड पे**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव उप म० नि० (मु०) मत्स्य निदेशालय, पटना	30.08. 1952	27.10. 2010	अदेय	पी बी–3, ग्रेड पे 6600
2.	श्री बी० के० दास उप म० नि० (सां० एवं वि०) मत्स्य निदेशालय, पटना	12.09. 1956	27.10. 2010	अदेय	पी बी–3 ग्रेड पे 6600
3.	श्री सुनील कुमार जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, अररिया	05.01. 1957	1.1.2009	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
4.	श्री दिलीप कुमार सिंह जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, खगड़िया	05.01. 1970	23.05. 2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय

1	2	3	4	5	6
5.	श्री गौरी शंकर जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, मधुबनी	**02.11.1969**	26.05.2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
6	श्री सुबोध कुमार जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, सीतामढ़ी	**26.01.1966**	26.05.2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
7	श्री सुमन कुमार सहायक म० निदेशक, मत्स्य निदेशालय, पटना	**04.01.1967**	26.05.2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
8	श्री जय प्रकाश जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, जहानाबाद	**25.01.1962**	31.05.2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
9	श्री शैलेन्द्र कुमार जि० म० पदा० –सह– मु० कार्य० पदा०, मुजफ्फरपुर	**01.01.1968**	31.05.2011	पी बी–2, ग्रेड पे 5400	अदेय
10	श्री राधिका रमण प्रभाकर मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी (सेवा निवृत)	**26.06.1951**	7.03.2011	अदेय	पी बी–3, ग्रेड पे 6600

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारी का वेतन नियतीकरण '' रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना 2010'' से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 17.07.2010 एवं तत्संबंधी वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630, दि0 21.01.2010 के कंडिका 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र प्रसाद, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+**550**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं०14/मु.13-1104/11-608 उ0शि0
शिक्षा विभाग

संकल्प
10 अप्रील 2012

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215-16/2002 में दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 1115, दिनांक 14.06.2006 तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1456, दिनांक 01.08.2006 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदानित (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला तकनीशियन/तकनीकी सहायकों को प्रयोग-प्रदर्शक (Demonstrator) के रूप में पदनामित किये जाने की स्थिति से उत्पन्न हो रही गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर वर्णित निर्गत पत्रों को उनके निर्गत होने की तिथि से ही विलोपित किये जाने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215-16/2002 में दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश तथा इस विषय पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायक संघर्ष समिति, बिहार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन को आधार मानकर राज्य के विश्वविद्यालयों तथा इनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से सृजित पदों के विरूद्ध नियमित रूप से दिनांक 14.06.2006 तक नियुक्त एवं वर्त्तमान में उक्त पदों पर कार्यरत प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायकों को जो नियुक्ति के समय संबंधित विषय में स्नातक योग्यता (प्रयोग-प्रदर्शक के अर्हत्ता के समतुल्य) धारित करते है, या जिस तिथि को संबंधित विषय में स्नातक योग्यता (प्रयोग-प्रदर्शक के अर्हत्ता के समतुल्य) धारित करते है, को न केवल उनकी नियुक्ति की तिथि से या अहर्त्ता प्राप्ति की तिथि से प्रयोग प्रदर्शक का पदनाम एवं स्वीकृत वेतनमान देते हुए प्रयोग-प्रदर्शक के पद पर पदनामित (री-डेजिगनेट) करने तथा इन कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक पद की सारी सुविधायें एवं प्रोन्नति संबंधी लाभ अनुमान्य किये जाने के साथ-साथ उनके वेतन का निर्धारण उनकी नियुक्ति की तिथि से स्वीकृत वेतनमान में किये जाने का निर्णय विभागीय पत्रांक 1115, दिनांक 14.06.2006 तथा शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1456, दिनांक 01.08.2006 के द्वारा लिया गया था।

2. विषयाधीन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215-16/2002 में दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश के कार्यकारी अंश में अंकित किया गया है कि **"So far the Appeal preferred by the Lab Assistants is concerned against the order by which the Division Bench set aside the direction of the Single judge to treat the Lab. Assistants as teachers we find that the order of the Division Bench cannot be faulted with. Apart from the fact that no such specific prayer was made the Bench rightly observed that such general direction could not be issued as the qualifications and other relevant facts in respect of each Lab. Assistants may have to be examined by the State Government while considering their representation. We, therefore, find no merit in the challenge made against that part of the order the Division Bench."**

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित किये जाने वाले प्रस्ताव में तत्कालिन विद्वान महाधिवक्ता बिहार के वैधिक परामर्श में इन कर्मियों को शिक्षक नहीं माने जाने का उल्लेख किया गया था, क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा क्रमशः 2(v) तथा 2(r) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रयोग प्रदर्शक (डिमोन्स्ट्रेटर) का पद शिक्षकों की कोटि में शामिल है।

4. विभागीय पत्रांक 1710, दिनांक 17.08.1979 के द्वारा प्रयोग प्रदर्शक के पदों की समाप्ति के बाद जिन विश्वविद्यालय विभागों एवं कॉलेजों में प्रयोग प्रदर्शक अथवा प्रयोगशाला सहायक भी नहीं है, उन विभागों एवं कॉलेजों के विज्ञान प्रयोगशालाओं के उपकरण के रख-रखाव एवं प्रायोगिक वर्गों के संचालन में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मात्र विज्ञान विषयों के प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु शिक्षकेतर पदों के सृजन की अनुमान्यता निर्धारित की गयी थी। उक्त पत्र में अंकित किया गया था कि प्रयोगशाला के कार्य में सहायता देने वाले कर्मचारी का पदनाम प्रयोगशाला प्रभारी होगा तथा उसकी शैक्षणिक योग्यता आई०एस०सी० की होगी और वेतनमान रु० 340-10-400- द०रो०-10-490 होगा। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति शिक्षकेतर कर्मचारी की कोटि में होगा और वह नन-वैकेशन (Non-vacation) विभाग का कर्मचारी होगा। वर्त्तमान में इसी श्रेणी के प्रयोगशाला कर्मियों को विषयाधीन विभागीय आदेश के आलोक में प्रयोग प्रदर्शक मानते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोग प्रदर्शक के रूप में मान्य करते हुए अनुमान्य वेतनादि का लाभ अनुमान्य किया जा रहा है।

5. यू०जी०सी० अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के अधीन गठित एवं परिचालित रेगुलेशन देश के विश्वविद्यालयों तथा इससे सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षकवर्ग की नियुक्ति के लिए विहित अर्हताओं का पालन किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इनका गठन यू०जी०सी० अधिनियम 1956 की धारा-14 के परिणामों (consequences) के अधीन धारा-26(i)(e) में निहित अधिकारों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के रेगुलेशन प्रत्येक विश्वविद्यालय पर जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किये गये हैं तथा उसके अधीनस्थ राजकीय, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थानों पर, यू०जी०सी० अधिनियम खण्ड-III की धारा-2 के खण्ड (एफ) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, के लिए प्रभावी तथा बाध्यकारी है।

6. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार राज्य स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रभारी/ तकनीशियन/ संघर्ष समिति, पटना के अभ्यावेदनों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों एवं पत्रों के आलोक में विभागीय स्तर से दिनांक 14.06.2006 तथा दिनांक 01.08.2006 को निर्गत पत्रों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के कार्यकारी अंशों का मिसइन्टरप्रेटेसन (misinterpretation) एवं तथ्यों के भ्रम (Misconception of facts) के आधार पर निर्गत किया गया है एवं इसमें यू०जी०सी० द्वारा निर्गत रेगुलेशनों, दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के द्वारा संसूचित निर्णयों, विश्वविद्यालय अधिनियमों में अंकित प्रावधानों के साथ-साथ तत्कालीन विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के वैधिक परामर्श में वर्णित तात्विक तथ्यों (Material facts) पर विचार नहीं किया गया है।

7. विषयाधीन विभागीय पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सेवा-निवृत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय सरवर अली-सह-अध्यक्ष बिहार विश्वविद्यालय के वास्तविक बजट निर्माण समिति (माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 5859/96 में पारित न्याय-निर्णय के द्वारा गठित) द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग (अब शिक्षा विभाग) को उपलब्ध कराये गये पत्रों में अंकित आपत्तियों, विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजकीय स्टैडिंग कौसिंल एवं श्री अभय कुमार सिंह, वरीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा विभाग को दिये गये वैधिक परामर्शों में अंकित वस्तुस्थिति की विस्तृत समीक्षा किये जाने से स्पष्ट है कि विभागीय स्तर से निर्गत विषयाधीन दोनों पत्रों में अंकित निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में पारित न्यायादेश **"So far the Appeal preferred by the Lab Assistants is concerned against the order by which the Division Bench set aside the direction of the Single judge to treat the Lab. Assistants as teachers we find that the order of the Division Bench cannot be faulted with Apart from the fact that no such specific prayer was made the Bench rightly observed that such general direction could not be issued "** के अनुरूप नहीं है।

8. पूर्व की कंडिकाओं में अंकित वस्तुस्थिति तथा तथ्यों के साथ-साथ वर्त्तमान में उत्पन्न हो रही गंभीर विसंगतियों एवं राज्य के शिक्षकेत्तर कर्मियों को शिक्षक के रूप में स्वीकार करने से शैक्षणिक गुणवत्ता के ह्रास को दृष्टिपथ में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215-16/2002 में दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदानित (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायक/

कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायकों को प्रयोग-प्रदर्शक (Demonstrator) शिक्षक के रूप में पदनामित (री-डिजिगनेट) किये जाने से संबंधित विभागीय पत्रांक 1115, दिनांक 14.06.06 तथा शुद्धि-पत्र संख्या 1456, दिनांक 01.08.06 को उनके निर्गत होने की तिथियों से ही विलोपित करते हुए निर्णय लिया जाता है कि:-

(i) विश्वविद्यालय/ अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रयोगशाला कर्मियों को जो संबंधित विषय में नियुक्ति के समय स्नातक प्रतिष्ठा स्तर अथवा समतुल्य योग्यता धारित करते हों तथा विधिवत् रूप से सृजित पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं निरंतर रूप से प्रयोगशालाओं में कार्यरत रहे हो तथा जिन्हें पदनामित किये जाने में राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर चयन समिति (सलेक्शन कमिटी) द्वारा 5500-9000 रु0 का वेतनमान अनुमान्य किये जाने से संबंधित प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हों, की समीक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के स्तर पर किया जायगा। तत्पश्चात् उनके द्वारा गठित समिति द्वारा इन कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से 5500-9000 रू0 के वेतनमान स्वीकृत करते हुए उसके आधार पर उनके वेतन का पुनरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा।

(ii) प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक के पदों पर कार्यरत कर्मी, जो विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं तथा उन्हें स्नातक की डिग्री प्राप्त है, परन्तु चयन समिति की सहमति प्राप्त किये जाने से संबंधित कोई प्रामाणिक एवं सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, को उनके वेतन पुनरीक्षण 4500-7000 रू0 के वेतनमान के आधार पर किया जायगा। वैसे प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक जिनका पद विधिवत रूप से स्वीकृत नहीं है तथा स्टाफिंग पैटर्न तथा अन्य कारणों से उनकी सेवा की निरंतरता बनी हुई है, को विभागीय संकल्प संख्या 2693, दिनांक 27.08.2010 के आधार पर तत्काल 4000-6000 रू0 के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जायगा।

(iii) उपर्युक्त के आधार पर नियमानुसार विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त तथा निरंतर रूप से कार्यरत प्रयोगशाला कर्मियों को विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मियों के सदृश्य अनुमान्य प्रोन्नति संबंधी लाभ भी अनुमान्य किया जायगा। इन प्रयोगशाला कर्मियों को स्वीकृत किये गये वेत्तनमान के आधार पर वास्तविक भुगतान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० संख्या 274/97 (आर) में दिनांक 09.12. 1998 को पारित न्यायादेश की तिथि से अनुमान्य किया जायगा।

9. वर्त्तमान में लिये जा रहे निर्णयों के आलोक में पूर्व में इस विषय पर निर्गत अन्य सभी पत्र संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

24 अप्रील 2012

सं० 14/मु013-760/11-733-उ0शि0—भारतीय संविधान की अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अनुमान्य वास्तविक बकाये राशि तथा मदों को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को मिलाकर एक समिति का गठन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

(1)	श्री विजय शंकर दूबे (भा0प्र0से0) सेवा निवृत्त ।	अध्यक्ष
(2)	श्री प्रभुनाथ राय, वरीय अधिवक्ता	सदस्य
(3)	श्री शशि भूषण प्रसाद, वरीय लेखा अधिकारी (सेवा निवृत्त) महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना ।	सदस्य सचिव

2. कार्यकाल :- समिति का कार्यकाल तीन माह का होगा ।

3. समिति की शक्ति एवं कृत्य :- (क) समिति राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की अनुमान्यता के निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच करेगी :-

(i) स्वीकृत पदों का निर्धारण,

(ii) नियुक्ति एवं प्रोन्नति की वैधता,

(iii) वेतन-निर्धारण,

(iv) अन्य कोई विषय जिसे माननीय उच्च न्यायालय अथवा राज्य सरकार कमिटी को सौंपे,

(ख) समिति अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा कर सकेगी ।

(ग) समिति विश्वविद्यालय में व्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अराजकता एवं विसंगतियों के निराकरण हेतु सुझाव दे सकेगी ।

(घ) समिति अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के विभागों एवं किसी विश्वविद्यालय/ किसी शिक्षण संस्थान के अधिकारी से सूचना प्राप्त करने तथा उनके अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगी ।

4. इस आदेश के परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित व्यय विवरणी के अनुसार ही राज्य सरकार समिति पर खर्च वहन करेगी ।

बिहार-राज्पाल के आदेश से,
एस० शिव कुमार, प्रधान सचिव ।

The 24th April 2012

No.14/MU 13-760/11-732-HE—In exercise of Power under Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby please to constitute a committee, for the purposes of determination of admissible actual arrear amounts and items to the teachers & Non teaching employees of the Universities of the State of Bihar, consisting of the following with the immediate effect :-

(1)	Sri Vijay Shankar Dubey (I.A.S.), Retired.	-	Chairman
(2)	Sri Prabhunath Rai Senior Advocate, Patna High Court	-	Member
(3)	Sri Shashi Bhushan Prasad, (Retired) Sr. Accounts Officer, Account General Office, Bihar, Patna.	-	Member Secretary

2. Tenure : Tenure of the Committee shall be of 3 Months.

3. Power and function of the Committee : - (a) The Committee in order to determine the admissibility of teachers and non teaching employees of Universities and its constitutent College of the State, shall examine the following points :-

(i) Determination of Sanction Posts

(ii) Validity of appointments and promotions

(iii) Pay Fixation

(iv) any other issue which may be assigned to the committee by the Hon'ble High Court or the State Government.

(b) The Committee shall visit various Universities of the State for the purpose of execution of its duties.

(c) The Committee may advise for removing the prevailing administrative and financial anarchy and discripencies in the Universities of Bihar.

(d) The Committee shall be competent to obtain information from any officer of the Education Department of the State Government and for call. Universities and any Educational Institutions for the purposes of its duties and call up meeting of its officers.

4. The State Government shall bear the expenditure of the Committee according to the Statement of expenditure mentioned in appendix 'Kha' of this order.

By order of the Governor of Bihar,
S. SHIV KUMAR, *Principal Secretary.*

परिशिष्ट-ख

विश्वविद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वास्तविक बकाया राशि निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु समिति पर होने वाले व्यय विवरणी (तीन माह के लिए)

01	अध्यक्ष-1	प्रतिदिन - ₹1500X25= ₹ 37500	₹37500x3=	₹112500
02	सदस्य-1	प्रतिदिन - ₹1500X25= ₹37500	₹ 37500x3=	₹ 112500
03	सदस्य सचिव-1	प्रतिदिन - ₹1000X25= ₹ 25000	₹ 25000x3=	₹ 75000
04	कम्प्यूटर ऑपरेटर-3	प्रतिमाह - ₹6000	₹6000x3x3=	₹ 54000
05	स्टेनो - 2	प्रतिमाह - ₹8000	₹ 16000x3=	₹ 48000
06	वाहनों एवं उपस्करों पर व्यय -			₹100000
07	कार्यालय व्यय -			₹152000
			कुलयोग	**₹6,54,000**

(रुपये छः लाख चौवन हजार मात्र)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस० शिव कुमार, प्रधान सचिव ।

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा शुद्धि–पत्र
18 अप्रील 2012

सं० 5518—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 अन्तर्गत पी0आर0–267 (स्वा0) 2012–13 द्वारा प्रकाशित निविदा में निम्नवत् संशोधन की जाती है :–

Category -'A'

- क्रमांक 09 पर अंकित Albumin Inj को Human Albumin I.V (All Strength) पढ़ा जाय।
- क्रमांक 27 पर अंकित Anti Heamo Phelic factor VIII & IX Infusion में अंकित Strength को All Strength in i.u पढ़ा जाय।
- क्रमांक 343 पर अंकित Saroflurane Inj को Saroflurane Inhalation (All Strength) पढ़ा जाय।

➢ साथ ही Category 'A' एवं Categgory 'C' में निम्न दवाओं को क्रमवार समाहित किया जाता है।

Category -'A'

निविदा क्रमांक – दवा का नाम

- 381 – Isfloouraine Inhalation – All Strength
- 382 – Total Parentral Neutrition triple chamber bag – All Strength
- 383 – 20% L- analyl, L – Glutsmine I.V – All Strength
- 384 – (Omegaven) Like-w fatty acid injection – All Strength
- 385 – Nephrostenil 7% (Like-Amino Acid Solution for Paticuts with renal insufficiancy) – All Strength

Category -'C'

निविदा क्रमांक – दवा का नाम

- 87 – Polymer Coted Allergy free gloves Protein Contain is less than 50 Ug/dm^2 – All Sizes
- 88–Brown Coloured Powder free orthoPeadic gloves - All Sizes
- 89–Gynaccological gloves 480mm & up to elblow length with Pre. Powdered - All Sizes

- निविद शर्त्त के क्रमांक X में All affidavit Submitted by the first Class Magistrate in original copy के स्थान पर All affidavit Submitted by the first Class Magistrate / notary in original copy पढ़ा जाय।
- इस शुद्धि पत्र के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों अथवा पूर्व प्रकाशित मूल निविदा की अंतिम तिथि, दोनों में जो तिथि बाद मे हो ही निविदा जमा करने की अंतिम तिथि मानी जायेगी।
- संशोधन उपरांत निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के अगले कार्यावधि को 12:30 बजे अधीक्षक प्रकोष्ठ में क्रय समिति के समक्ष तकनिकी निविदा खोली जायेगी।
- शेष निविदा शर्त्त एवं सूची यथावत् रहेगी।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, अधीक्षक।

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना
19 अप्रील 2012

सं0 5/एम0–702/2012–3493गृ0 आ0—राजपत्रित पुलिस पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून कोटि के पुलिस पदाधिकारियों) को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करने हेतु गृह विभाग के स्तर पर निम्न रूपेण एक समिति का गठन किया जाता हैः–

(1) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग – अध्यक्ष
(2) पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि
(जो अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के हों) – सदस्य
(3) गृह विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

2. समिति के विचारार्थ प्रस्ताव भेजते समय पुलिस मुख्यालय मौद्रिक पुरस्कार हेतु मनोनीत किये गये पदाधिकारियों के द्वारा संबंधित उग्रवादी/अपराधी की गिरफतारी हेतु किये गये प्रयास एवं योगदान का उल्लेख करना सुनिश्चित करेगा। तत्पश्चात् समिति के द्वारा समुचित समीक्षोपरांत सरकार का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन सिन्हा, संयुक्त सचिव।

बिहारी राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
26 अप्रील 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-01/2011-खंड-4396—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-600 दिनांक 15.03.2012 द्वारा प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु दिनांक 31.12.2011 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित की गयी थी।

2. कतिपय प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निबंधित रहने एवं उनका निर्वाचन देय होने के बावजूद उक्त कट-ऑफ तिथि के आधार पर उन समितियों (परिशिष्ट-1 में अंकित) की मतदाता सूची तैयार नहीं की गयी। अलावे कतिपय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों (परिशिष्ट-2 में अंकित) के निर्वाचन हेतु अंतिम मतदाता सूची में व्यापक अनियमितता की शिकायते प्राप्त होने पर प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 4386 दिनांक 25.04.2012 द्वारा उन समितियों का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है, जिनकी मतदाता सूची नये सिरे से तैयार करनी होगी।

3. बिहार सहकारी सोसायटी संशोधन नियमावली, 2008 के नियम-10 (ख) (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु दिनांक 31.03.2012 कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करता है।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

प्रखंडों की सूची जिनमें मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन देय है और जिनकी मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है

क्रमांक	जिला	प्रखंड
1	नालन्दा	सरमेरा
2	नालन्दा	राजगीर
3	नालन्दा	वेन
4	रोहतास	डिहरी
5	रोहतास	चेनारी
6	कैमूर	रामगढ़
7	कैमूर	नुआंव
8	जहानाबाद	जहानाबाद
9	औरंगाबाद	वारूण
10	औरंगाबाद	कुटुम्बा
11	औरंगाबाद	ओबरा
12	औरंगाबाद	रफीगंज
13	नवादा	नवादा
14	नवादा	अकबरपुर
15	नवादा	कौआकोल
16	नवादा	पकड़ीबरामा
17	पश्चिम चंपारण	मंझौलिया
18	पश्चिम चंपारण	बैरिया
19	पश्चिम चंपारण	गौनाहा
20	पूर्वी चंपारण	चकिया
21	पूर्वी चंपारण	पताही
22	सहरसा	सोनवर्षा
23	सुपौल	सुपौल
24	सुपौल	पिपरा
25	सुपौल	भरौना
26	पूर्णियां	बायसी
27	पूर्णियां	बैसा
28	पूर्णियां	बड़हरा कोठी
29	पूर्णियां	रूपौली
30	समस्तीपुर	ताजपुर
31	समस्तीपुर	मोरवा

क्रमांक	जिला	प्रखंड
32	समस्तीपुर	सरायरंजन
33	समस्तीपुर	पूसा
34	समस्तीपुर	मोहनपुर
35	समस्तीपुर	सिंघिया
36	समस्तीपुर	हसनपुर
37	सिवान	वसन्तपुर
38	सिवान	लकड़ी नवीगंज
39	सिवान	दरौली
40	सिवान	नौतन
41	सिवान	जीरादेई
42	सिवान	बड़हरिया
43	सिवान	हुसैनीगंज
44	सिवान	सिसवन
45	सिवान	रघुनाथपुर
46	गोपालगंज	बैकुंठपुर
47	गोपालगंज	हथुआ
48	गोपालगंज	उचकागांव
49	गोपालगंज	भोरे
50	गोपालगंज	कटैया
51	भागलपुर	शाहकुंड
52	भागलपुर	कहलगांव
53	भागलपुर	रंगराचौक
54	भागलपुर	गोपालपुर
55	भागलपुर	इस्माइलपुर
56	जमुई	सिकन्दरा
57	खगड़िया	बेलदौर
58	बेगूसराय	तेघड़ा
59	बेगूसराय	बछवाड़ा
60	बेगूसराय	बलिया
61	बेगूसराय	मटिहानी
62	बेगूसराय	शाम्हो

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-2

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सूची, जिनकी मतदाता सूची नये सिरे से 31.03.2012 की कट ऑफ तिथि के आधार पर तैयार की जायेगी।

क्रमांक	जिला	प्रखंड
1	पूर्वी चंपारण	आदापुर
2	पूर्वी चंपारण	छौड़ादाना
3	पूर्वी चंपारण	रक्सौल
4	पूर्वी चंपारण	रामगढ़वा
5	पूर्वी चंपारण	घोड़ासहन
6	पूर्वी चंपारण	चिरैया
7	पूर्वी चंपारण	ढ़ाका
8	पूर्वी चंपारण	मेहसी
9	पूर्वी चंपारण	कल्याणपुर
10	पूर्वी चंपारण	केसरिया
11	पूर्वी चंपारण	पकरीदयाल
12	पूर्वी चंपारण	मधुबन
13	पूर्वी चंपारण	तेतरिया
14	पूर्वी चंपारण	अरेराज
15	पूर्वी चंपारण	पहाड़पुर
16	पूर्वी चंपारण	संग्रामपुर
17	पूर्वी चंपारण	हरसिद्धी
18	पूर्वी चंपारण	बंजरिया
19	पूर्वी चंपारण	कोरवा
20	पूर्वी चंपारण	पिपराकोठी
21	पूर्वी चंपारण	सुगौली
22	पूर्वी चंपारण	तुरकौलिया
23	कटिहार	बरारी
24	कटिहार	हसनगंज
25	कटिहार	प्राणपुर
26	कटिहार	अमदाबाद
27	कटिहार	कदबा
28	मधुबनी	विस्फी

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+**1700**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

नाम परिवर्तन

सं० 686—मैं, विवेक सुपुत्र श्री विजय प्रसाद, ग्राम–कोरिऑवॉ, पो0–शोरमपुर, थाना–जानीपुर, जिला–पटना–801505, बिहार (बर्त्तमान पता–आवास संख्या–बी/6, पथ संख्या–3, आर0 ब्लॉक, पटना–1) शपथ पत्र संख्या 3037, दिनांक 12.03.2012 के अनुसार अब विवेक जयन्त के नाम से पुकारा एवं जाना जाऊँगा ।

विवेक ।

CHANGE OF NAME

No. 686—I, VIVEK s/o Sri Vijay Prasad resident of Village-Koriawan, PO-Shorampur, PS-Janipur, Distt-Patna-801505, Bihar (Present address: Qtr. No.B/6, Rd. No.3, R. Block, Patna-1) will now be called & known as VIVEK JAYANT vide affidavit no. 3037 dt. 12-03-2012.

VIVEK.

अधीक्षक का कार्यालय

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं० 5841—वर्ष 2012–2013 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में अन्तवार्सीय मरीजों के लिए आकास्मिक परिस्थिति में जो अस्पताल में दवा, सर्जिकल सामाग्री आदि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानीय बाजार से क्रय कर दवा की आपूर्ति की जाती है। इसलिए ड्रग लाईसेंसी दवा दुकान से क्रय हेतु बिहार वाणिज्यकर एवं ड्रग लाईसेंस में निबंधित इच्छुक निविदादाता (आपूर्त्तिकर्ता/निर्माता /प्राधिकृत विक्रेता) से मुहरबंद टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं० www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जो निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से अधिक न्यूनतम पाये जाने वाले निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा। जिन निविदादाता का दर अनुमोदित किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रहने का कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र देना होगा।

निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची :

1. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा।
2. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को बिहार वाणिज्य–कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य–कर से प्राप्त अद्यायत्तन प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
4. निविदादाता को आयकर में निबंधन एवं अद्यायत्तन अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को ड्रग लाईसेंस में निबंधन एवं अद्यायत्तन अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
6. अग्रधन के रूप में 25,000/– (पच्चीस हजार) रुपये का एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा। तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।

9. निविदादाता का दर एम0आर0पी0 से जिसका अधिक न्यूनतम दर (प्रतिशत में) पाया जायेगा उनका निविदा पर विचार किया जायेगा।

10. जो निविदादाता का दर स्वीकृत किया जायेगा उनका दुकान 24 घंटे खुला रखने का शपथ–पत्र कार्यापलक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। उन्हीं के निविदा पर विचार किया जायेगा।

11. निविदादाता को दवा की आपूत्ति आदेश प्राप्त होने के दो घंटे के अंदर आपूर्त्ति करना होगा।

12. निविदादाता को व्यादेश उपलब्ध होने के उपरांत ससमय दवा आपूर्त्ति नहीं करने पर 500 (पांच सौ) रूपये प्रतिदिन आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।

13. जिस निविदादाता का दर अनुमोदित होगा एवं दवा की आपूर्त्ति करेगें उनके विपत्र का भुगतान प्रतिमाह दवा मद में उपलब्ध आवंटन रहने की स्थिति में की जायेगी।

14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15. निविदादाता का फर्म/दुकान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के परिसर से दो किलोमीटर के अन्दर होना अनिवार्य होगा।

16. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

स्थान :–पटना
दिनांक :–27 अप्रील 2012

(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+**20**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
13 अप्रील 2012

सं० कौन/भी–143/2008–39––श्री रूद्रनन्दन श्रीवास्तव, (बिहार वित्त सेवा) तत्कालीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध उक्त पदस्थापनकाल से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 468/सी० दिनांक 21.11.2008 एवं संकल्प संख्या 155 दिनांक 08.06.10 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। जाँच संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष एवं श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब की सम्यक् समीक्षोपरान्त इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 08—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in